न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 56/2023 बउनवानी मनोहरलाल साकरवाल बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कले. स0मा0 निवासी 5 बत्ती खंगारो की गली बाल विकास स्कूल के पास टोंक–304001

GCMS No-2023/119

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
22.9.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं उप0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 25.3.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पीपीओ नम्बर आरजेएस 03023265 दिनांक 21.5.2013 की प्रति एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजो की प्रतियॉ लाभार्थी (दुर्गेश देवी)

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उप0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर स0मा0 को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक सूकाअ/2023/3193 दिनांक 21.9.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 25.3.2023 मे चाही गयी सूचना ऑन लाईन होने के कारण सूचना पीपीओ नम्बर से संबंधित आवेदन पत्र मय संलग्नको की प्रति दिया जाना सम्भव नही है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 25.3.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा इसलिए उपलब्ध नही करवायी गयी है क्योकि पेंशन के आवेदन पत्र कार्यालय मे ऑनलाईन प्राप्त होते है तथा ऑन लाईन कार्य का रिकार्ड संधारित नही किया जाने के कारण सूचना नही दी गयी है। यहॉ लोक सूचना अधिकारी का यह कथन भी उचित नही है कि पेंशन कार्य ऑन लाईन होने के कारण रिकार्ड संधारित नही होने से सूचना नही दी गयी है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष की होने के कारण तृतीय पक्ष की सहमति उपरान्त ही सूचना दी जा सकती है।

चूंकि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष (दुर्गेश देवी की पेंशन से) संबंधित है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि दुर्गेश देवी से अपीलान्ट को सूचना दिये [illegible] एवं यदि उसके द्वारा सूचना दिये जाने की सहमति प्रदान कर दी जावे [illegible] को चाही गयी सूचना 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी [illegible] अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली [illegible] हो एवं [illegible] दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:44:29 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner